If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultations with the Union Public Service Commission necessary. "

[F. No. 39021/04/2009-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note :— The principal rules were published in the vide number G.S.R. 17, dated the 13th January, 1990 and was last amended vide number G.S.R. 279, dated the 27th July, 2002.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पर्यवेक्षक (गोपनीय)	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300–34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या सरकारी मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या सरकारी मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों में परीक्षाओं संबंधी प्रश्न-पत्रों या गोपनीय कागज पत्रों और स्ट्रांग रूम में प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव । **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :** **प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कमीशंड ऑफिसर या समतुल्य रैंक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं । यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । ऐसे पात्र अधिकारियों की दशा में जो पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिक की पुष्टि के लिए) : 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासन, नियुक्ति, साधारण, सेवा और भर्ती नियम), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) या संयुक्त सचिव (गोपनीय), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य	पदों को भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021/07/2009-स्था.(ख)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 96, तारीख 24 फरवरी, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 67, तारीख 26 फरवरी, 2000 द्वारा संशोधन किया गया ।

New Delhi, the 21st February, 2011

G. S. R. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission, Supervisor (Confidential) Recruitment Rules, 1989, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Supervisor (Confidential) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Supervisor (Confidential) Recruitment Rules, 1989 (hereinafter referred to of the said Rules) in rule 2, for the words "Scale of Pay", the words "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale" shall be substituted.

3. In the said rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Supervisor (Confidential)	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces Personnel re-employed

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Deputation (including short-term contract) For Armed Forces Personnel : Deputation/ Re-employment	**Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central or State Government or Universities or Government Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department. (b) Possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's degree from a recognised university or equivalent; (ii) Three years experience relating to handling the question papers or confidential papers and strong room operations relating to

(12)

conduct of examinations in Central or State Government or Universities or Government Recongnised Research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisation.

For Armed Forces Personnel :

Deputation/Re-employment :

The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case, such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

Note 1 : Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (Date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation for re-employed Armed Forces Personnel) :— 1. Secretary, Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary (Administration, Appointment, General, Services and recruitment Rules), Union Public Service Commission —Member 3. Joint Secretary (Administration) or Joint Secretary (Confidential) Union Public Service Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. 39021/07/09-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Note :— The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 96, dated the 24th February, 1990 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 67, dated the 26th February, 2000.